

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक


19 NOV 2018

संशोधन आज्ञा

इस विभाग की समसख्यंक आज्ञा दिनांक 28.01.2017 के द्वारा जोधपुर जिले में नामित किये गये पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की सूची में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति / ब्लॉक	ग्राम पंचायत	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधित नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधन का कारण
1	जोधपुर	मण्डोर	पीथावास	रामावि पीथावास	राउमावि रुडकली	ग्राम पंचायत का उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के कारण
2	जोधपुर	मण्डोर	इन्द्रोका	रामावि इन्द्राका	राउमावि मणाई	ग्राम पंचायत का उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के कारण
3	जोधपुर	मण्डोर	बम्बोर दर्जियान	राउमावि बड़ली	राउमावि बम्बोर दर्जियान	पूर्व में ग्राम पंचायत में मावि/उमावि नहीं था। क्रमोन्नति के पश्चात उमावि स्तर का विद्यालय है
4	जोधपुर	मण्डोर	खोखरिया	राउमावि नांदड़ाकला	रामावि खोखरिया	पूर्व में ग्राम पंचायत में मावि/उमावि नहीं था। क्रमोन्नति के पश्चात मावि स्तर का विद्यालय है
5	जोधपुर	पीपाडा	चोढा	राउमावि बुचकला	रामावि बेनण	पूर्व में ग्राम पंचायत में मावि/उमावि नहीं था। क्रमोन्नति के पश्चात मावि स्तर का विद्यालय है
6	जोधपुर	मण्डोर	उन्देडो की ढाणी	रामावि जोलियाली	राउमावि उन्देडों की ढाणी(महादे व नगर)	पूर्व में ग्राम पंचायत में मावि/उमावि नहीं था। क्रमोन्नति के पश्चात उमावि स्तर का विद्यालय है

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

13. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
14. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
16. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
17. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक राज0, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त संशोधित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड कराने का श्रम करावें।
18. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
19. जिला कलेक्टर,।
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,।
21. उपनिदेशक, प्राशि/माशि,।
22. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माशि, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें।
23. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,।
24. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव